DEMONSTRATIE

STOP DE VROUWENVERBRANDING IN INDIA!

Op 4 september 1987 werd Roop Kanwar, een 18-jarige Indiase vrouw, door haar familie gedwongen om 'sati' te plegen door zich tijdens de lijkverbranding van haar man op diens brandstapel te werpen.

De publiciteitsgolf rond haar dood heeft duidelijk gemaakt dat 'sati' (weduweverbranding, veelal onder druk van de omgeving) sterk in opkomst is in India onder invloed van fundamentalistische Hindoegroeperingen. Deze streng orthodoxe groepen hebben aangekondigd om op 22 september of 3 oktober hun 'martelares en nieuwe heilige' Roop Kanwar groots te zullen herdenken.

In India, maar ook in Nederland, wordt met afschuw gereageerd op sati. Naast de moorden op vrouwen wier familie te weinig bruidsschat inbrengt (de zgn bruidsschatmoorden), vormt sati de meest aperte schending van vrouwenrechten in India.

De bruidsschatmoorden (het bruidsschat-systeem is al jaren verboden), het alom voorkomend verschijnsel van onaanraakbaarheid van de 100 miljoen kasteloze paria's (ondanks afschaffing bij de wet 40 jaar geleden), evenals de herleving van sati (ondanks de sati-prevention-act 1987) zijn grove onrechtvaardigheden, waartegen ook de Indiase overheden krachtdadiger dienen op te treden.

Wij, de Janadhikar Sewa Sangh en de Landelijke India Werkgroep, roepen vrouwenorganisaties, Hindostaanse verenigingen en India-betrokkenen op om fel te protesteren tegen (aanzetten tot) schending van mensenrechten (die vooral vrouwen treft) door fundamentalistische groeperingen, die de verdraagzaamheid van de Hindoesamenleving in diskrediet brengen.

STUUR ONS UW STEUNBETUIGING

EN

DEMONSTREER MEE OP DE GEBOORTEDAG VAN MAHATMA GANDHI

ZONDAG 2 OKTOBER 1988

13.00 uur: Samenkomst in Den Haag op Malieveld (bij Den Haag CS)
14.00 uur: Voettocht naar Indiase ambassade (Buitenrustweg 2), alwaar
15.00 uur: Overhandiging petitie aan de Ambassadeur van India

Stop de vrouwenverbranding, stop de onaanraakbaarheid van paria's, stop de fundamentalistische religieuze groeperingen!

Voor nadere informatie en steunbetuigingen:

Janadhikar Sewa Sangh
(St. Mensenrechten & Welzijn)
T.a.v. G. Kalpoe
Chassestraat 66
2518 RZ Den Haag
tel. 070 - 456691

Landelijke India Werkgroep
T.a.v. Twan Custers
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
tel. 030 - 321340

JSS

DE WAARHEID OVERWINT

LIW

सती प्रथा वेद विरुद्ध है

दिवराला में (राजस्थान) रूपकुंवर को चिता में जलाने के बाद इस जघन्य अपराध के विरोध में सम्पूर्ण देश में हलचल मच गई है। १५८ वर्षों से (४ दिसम्बर १८२९ ई० में सती प्रथा विरोधी कानून बना था।) सती प्रथा विरोधी कानून के रहते इस प्रकार की घटना का यदा-कदा होते रहना हम सभी के लिए कलंक की बात है। पर, इस बार की घटना के बाद अधिकांश हिन्दूवादी नेताओं, धर्मध्वजी पाखण्डियों तथा राजनैतिक नेताओं द्वारा दिये जा रहे बयान और उनके कार्यकलाप हमारे सांस्कृतिक तथा मानवीय नैतिक मूल्यों पर गहरी चोट करते हैं।

(१) वेदों में सतीदाह का विधान नहीं

पुरी के शंकराचार्य ने सतीदाह को वेदानुकूल कहते हुए जिस वेद मंत्र को उद्धृत किया है, वह मन्त्र भी सतीदाह के विरुद्ध है। मन्त्र निम्न है—

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा स विशन्तु ।
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥
(ऋग्वेद १०।१८।७)

इस मन्त्र का शंकराचार्य सम्मत सायणाचार्य अनुसार निम्न अर्थ है—"जीवद्भर्तृकाः शोभनपतिकाः इमाः नार्यः सर्वतोऽञ्जनसाधनेन घृतेन युक्तनेत्राः सत्यः स्वगृहान् प्रविशन्तु। अरुदत्यः मानसदुःखवर्जिताः शोभन-धन[illegible]ताः जनयन्त्यपत्यं भार्याः। ताः सर्वेषां प्रथमत एवं गृहम् आगच्छन्तु।' अर्थात्—जीवित पति वाली सधवा सुपत्नियाँ सभी प्रकार की स्त्रियोचित अञ्जन आदि प्रसाधनों से अलंकृत होकर अपने घरों में प्रवेश करें। वे मानस दुःखों से रहित हों, अश्रुपात न करें, सुन्दर धनों से युक्त होकर सुसन्तान उत्पन्न करें। तथा सबसे पहले ही अपने घरों में आयें।

इस मन्त्र में 'विधवा' की तो चर्चा ही नहीं है। मन्त्र में पद है— 'अविधवाः' (नारीः+अविधवाः=नारीरविधवाः)। आश्चर्य है कि इतना स्पष्ट मन्त्र होते हुए और आचार्य सायण का उक्त अर्थ होते हुए मध्य-कालीन पण्डितों तथा शंकराचार्य ने इस मन्त्र का अर्थ 'विधवा स्त्री के लिए अग्नि में जल जाना' कैसे किया?

(२) प्राचीन ग्रन्थों में भी सती प्रथा का समर्थन नहीं

'धर्मशास्त्र का इतिहास' (प्रथम भाग) में महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे ने लिखा है—

"वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गृह्यसूत्रों ने भी इसके विषय में कोई विधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मणवादी भारत में प्रचलित हुई मनुस्मृति इस विषय में सर्वथा मौन है।" रामायण में दशरथ के मरने के बाद उनकी तीनों रानियों—कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी में से कोई भी चिता में नहीं जली। बालि की पत्नी तारा और रावण की पत्नी मन्दोदरी भी अपने पति की मृत्यु के बाद सती नहीं हुई। तारा और मन्दोदरी की भारतीय नारियों के इतिहास में अच्छी प्रतिष्ठा है। पौराणिक आख्यानों में भी जो देवियाँ सती के रूप में प्रख्यात हैं और पूजी जाती हैं, उसका कारण उनकी सत्यनिष्ठा तथा पतिव्रत धर्म है। सती सावित्री और सती अनसूइया अपने पतियों के शवों के साथ जिन्दा नहीं जली थीं। रक्तरंजित युद्धों की गाथाओं से भरे हुए महाभारत में बहुत कम सती के उदाहरण दिये हैं। स्त्री पर्व (२६) में मृत कौरवों की अन्त्येष्टि—क्रिया का वर्णन हुआ है; जिसमें कौरवों के रथों, परिधानों, आयुद्धों के जला देने की बात आई है, किन्तु उनकी पत्नियों के सती होने की चर्चा नहीं है। स्त्री पर्व (२३/३४) में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी आचार्य की मृत्यु के बाद रोती हुई विकीर्णकेशी के रूप में युद्ध में आती है किन्तु अपने को जला डालने की कोई बात नहीं करती।

(३) सतीदाह के समर्थक धर्मशास्त्र

वस्तुतः वेद के मन्त्रों के ही विरुद्ध परवर्त्ती ग्रंथों में वेद का नाम लेकर ऊट-पटांग विधान किया गया है। परन्तु ये आधुनिक या अर्वाचीन तथा वेद विरुद्ध होने के कारण सत्य सनातन धर्म के सिद्धान्त के रूप में नहीं माने जा सकते और न मानना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानन्द ने केवल वेदों को स्वतः प्रमाण माना है। वेद के अतिरिक्त अन्य ऋषिकृत ग्रंथों [आर्ष] का प्रमाण स्वामी जी परतः प्रमाण के रूप में मानते हैं। अर्थात् इन ग्रंथों का प्रमाण वेदानुकूल होने से ही माना जायेगा।

(४) सतीदाह जौहर नहीं है

चित्तौड़ तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियों, रानियों आदि द्वारा खेले गये जौहर की कहानियाँ लोगों के दिलों में अभी भी ताजी हो जाती है। मुसलमानों के क्रूर हाथों में पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की रानियाँ, पुत्रियां, तथा अन्य राजपूत कुमारियाँ अपने को अग्नि में झोंक देती थीं। विधर्मी शत्रुओं के हाथों में पड़कर कुल कलंकित न हो, इसलिए भी मध्यकाल में सतीदाह की प्रथा रही है।

(५) सती और स्वर्ग

सतीदाह के पीछे एक बहुत बड़ा अन्धविश्वास यह है कि सती होने वाली स्त्री मरने के बाद उसी पति को प्राप्त करती है और स्वर्ग में सुख भोगती है।

मनुस्मृति के प्राचीनतम् टीकाकार और आचार्य मेधातिथि के अनुसार विधवा स्त्री का पति की चिता में जलना आत्म हत्या है और वेदों के अनुसार आत्म हत्या करने वाले लोग घोर अंधकार से आवृत असुरों के रहने लायक लोक में जाते हैं—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
तांस्ते, प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ (यजुर्वेद ४०।३)

अतः स्त्रियां सतीदाह रूपी आत्मदाह का पाप न करें।

(६) शंकराचार्य जी का धर्म

पुरी के शंकराचार्य जी (श्री निरंजन देव तीर्थ) न केवल दानवी प्रथा सती प्रथा का ही समर्थन करते हैं। अपितु वे बाल विवाह, बहु विवाह, वृद्ध विवाह तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने तथा पढ़ाने के अधिकार नहीं हैं, जैसी मान्यताओं के भी समर्थक हैं। शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं है, वे भी वेद न पढ़ें न पढ़ायें, छूआछूत धर्म का अनिवार्य अंग हैं। भारतीय संविधान तथा मानवीय मूल्यों तथा नैतिकताओं के विरोधी इन सभी कुप्रथाओं को वे और उनके धर्मशास्त्र मानते हैं।

श्री निरंजन देव जी जिन धर्मशास्त्रों का प्रमाण मानते हैं उनमें ये सभी बातें समर्थित भी हैं। इतना ही नहीं—नरबलि, पशुबलि, मद्यपान, वेश्यागमन, देवदासी प्रथा, अश्वमेध यज्ञ में रानी का घोड़े से सम्भोग जैसी कदाचारपरक और पृथ्वी का चपटी होना जैसी अवैज्ञानिक मान्यताओं को भी वे और उनके धर्मशास्त्र (?) मानते हैं। इन सभी अवैज्ञानिक, अमानवीय तथा शोषणपरक मान्यताओं का विशद निरूपण शंकराचार्य जी के अनन्य मित्र श्री करपात्री जी के बृहद् ग्रंथ 'वेदार्थ पारिजात' (दो भाग, पृष्ठ संख्या २२०५) में मिलता है। शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ का फतवा दिया और उससे प्रभावित होकर उत्तरप्रदेश की सरकार ने इस ग्रंथ को एक लाख के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।

(७) शास्त्रार्थ की चुनौती

'सतीदाह वेद विरुद्ध है'। इस विषय पर शंकराचार्य जी जहाँ चाहें शास्त्रार्थ कर लें। आर्य समाज की सर्वो तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से भी शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ को चुनौती दी गई है।

zie ook, Het Binnenhof "van 29-9-'88